

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

क्र. 2180 / भू.अ./वन अधि./2019

कोरबा दिनांक 23/10/2019

प्रति,

प्रबंधक (तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर

कार्यालय परियोजना निदेशक

परियोजना कियान्वयन ईकाई, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- राजपट्टीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) पथरापाली से कटघोरा के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 13013/3/2019/प.नि.-बिला./पथ.-कटघोरा/फॉरेस्ट/3907 दिनांक 18.06.2019।

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वन मण्डल कटघोरा, तहसील कटघोरा अंतर्गत ग्राम मोहनपुर, तहसील पाली अंतर्गत ग्राम चेपा, मुनगाडीह, राहाडीह, रंगोले, बनबांधा, कपोट, घुईचुआं, कांजीपानी, कुटेलामुड़ा मदनपुर, एवं तहसील पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत ग्राम कापूबहरा, जुराली में मेसर्स परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के परियोजना पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2 अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पोड़ीउपरोड़ा से उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति/अभिमत प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना हेतु राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	पाली	चेपा	443/1	2.610	
2			419	0.895	
3			423	0.660	
4			34	2.900	
5			298/1	0.450	
6			32/1/1	0.202	
7			18	0.350	
8			1/1	0.202	
9		मुनगाडीह	557	0.240	

//2//



Path- Kat- Forest

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

// 2 //

	296 / 1क	0.722	
राहाडीह	104 / 1क	3.675	
	113 / 1क	0.080	
रंगोले	9 / 1 , 19 / 6	0.0341	
बनबांधा	153	0.350	
	139 / 1	0.202	
	101	0.170	
	128 / 1	0.143	
कपोट	718 / 1	0.570	
घुईचुंवा	148	0.430	
	126 / 1क	0.034	
	125	0.050	
	156 / 1	0.640	
	163	0.110	
	162 / 1क	0.950	
	258 / 1	0.607	
कांजीपानी	526	0.120	
	607 / 1	1.050	
	607 / 37	0.450	
	607 / 55	0.137	
	427	2.700	
कुटेलामुड़ा	5 / 1क	0.708	
	44	0.036	
	57	0.040	
	96 / 1क	0.410	
	707 / 1क	0.445	
	713 / 1क	0.631	
मदनपुर	628	0.267	
	785 / 1 785 / 2	0.020	
	593 / 1	1.308	

// 3 //

40			631 / 1 634 / 4	0.469	
41			684 / 1	0.081	
योग				26.1481	
42	कटघोरा	मोहनपुर	93	0.137	
43			100 / 1	0.998	
44			109 / 1 / क	0.109	
45			71 / 1 / क	0.120	
योग				1.364	
46	पोड़ीउपरोड़ा	जुराली	246	0.012	
47			606 / 1	0.415	
48			610 / 4	0.202	
49		कापूबहरा	357 / 1 क / 1	0.750	
50			212 / 1 / क / 1 212 / 1 / क / 2	0.202	
योग				1.581	
महायोग				29.0931	

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के परियोजना पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2 निर्माण हेतु वन मण्डल कटघोरा, तहसील कटघोरा अंतर्गत ग्राम मोहनपुर, तहसील पाली अंतर्गत ग्राम चेपा, मुनगाडीह, राहाडीह, रंगोले, बनबांधा, कपोट, घुईचुआं, कांजीपानी, कुटेलामुड़ा मदनपुर, एवं तहसील पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत ग्राम कापूबहरा, जुराली में कुल रकबा 29.0931 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन बाबत उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है—

- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर मेसर्स परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के परियोजना पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2 परियोजना हेतु वन मण्डल कटघोरा, तहसील कटघोरा अंतर्गत मोहनपुर, तहसील पाली अंतर्गत ग्राम चेपा, मुनगाडीह, राहाडीह, रंगोले, बनबांधा, कपोट, घुईचुआं, कांजीपानी, कुटेलामुड़ा मदनपुर, एवं तहसील पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत कापूबहरा, जुराली में कुल रकबा 29.0931 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2 हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
6. प्रत्यावर्तन भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा संचालित भवन पाए जाने पर मूल्यांकन कर देयक छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को होगा।

(श्रीमती किरण कौशल)

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/2181/भू.अ./वन अधि./2019
प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक : 23/10/2019

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, कटघोरा को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)